बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०– भवन–03 / स्था०–विविध–43 / 2025..... / पटना, दिनांक .....

–: आदेश :–

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–01 / 2019 के तहत चयनित कुल–310 (02 पद सुरक्षित एवं चयन लंबित रखते हुये) अभ्यर्थियों की अनुशंसा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक–19 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गयी, जिसके आलोक में विभागीय आदेश संख्या–1153(भ) दिनांक–31.01.2025 द्वारा सुश्री कुमारी को कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति किया गया।

आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त अनुशंसा के क्रम संख्या–262 (समेकित क्रम संख्या –5247) पर सुश्री शिवानी कुमारी का नाम अंकित है, परन्तु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सुश्री कुमारी के उपलब्ध कराये गये डोजियर में संधारित प्रमाण–पत्र तथा विभाग द्वारा आयोजित शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन कार्यक्रम (Certificate Verification cum Counselling) में सुश्री कुमारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में उनका नाम "KM. SHIVANI YADAV" अंकित है।

उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक–7832(भ) अनु० दिनांक–21.10.2025 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से सुश्री शिवानी कुमारी का नाम ही "KM. SHIVANI YADAV" है अथवा नहीं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग का कार्यालय ज्ञापांक–381 दिनांक–10.02.2026 द्वारा यह सूचित किया गया कि आयोग कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि ऑनलाईन आवेदन में सुश्री कुमारी के द्वारा जन्म तिथि– 06.06.2000 अंकित किया गया है, परन्तु शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उनकी जन्म तिथि–06.06.2001 अंकित है, जो कि विज्ञापन संख्या–01 / 2019 की कंडिका–3 के अनुसार आयु सीमा का कटऑफ तिथि–01.08.2018 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम है। अतएव उक्त पत्र के माध्यम से सुश्री कुमारी को दिनांक–16.02.2026 को अपराह्न 05:00 बजे अपना पक्ष आयोग में रखने हेतु निदेशित करते हुये उनकी अभ्यर्थिता आयोग के अगले आदेश तक स्थगित रखने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम को विभागीय पत्रांक–1576 (भ) अनु० दिनांक–13.02.2026 द्वारा सुश्री शिवानी कुमारी को निर्धारित तिथि को आयोग में उपस्थित होने हेतु निदेशित करने तथा विभागीय पत्रांक–1706(भ) अनु० दिनांक–17.02.2026 द्वारा आयोग द्वारा सुश्री शिवानी कुमारी की अभ्यर्थिता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने तक उनका वेतन स्थगित रखते हुये तत्काल उनसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य (यथा–प्राक्कलन तैयार करना, एम०बी० बुक करना आदि) नहीं लेने हेतु निदेश दिया गया।

तदुपरांत विभागीय पत्रांक–5574(भ) अनु० दिनांक–17.06.2026 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से सुश्री शिवानी कुमारी की अभ्यर्थिता के संबंध में लिये गये अंतिम निर्णय के संबंध में विभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना का कार्यालय पत्रांक–2744 दिनांक–27.08.2026 द्वारा यह सूचित किया गया है कि सुश्री शिवानी कुमारी का फोल्डर संचिका के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी जन्म तिथि–06.06.2001 है, परन्तु ऑनलाईन आवेदन में सुश्री कुमारी के द्वारा जन्म तिथि–06.06.2000 अंकित किया गया है। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु दिनांक–01.08.2018 को 18 वर्ष निर्धारित थी, परन्तु सुश्री कुमारी की आयु दिनांक–01.08.2018 को

उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि–06.06.2001 से आकलित करने पर 18 वर्ष से (17 वर्ष 2 माह 24 दिन) होता है, जिसके कारण सुश्री कुमारी विज्ञापन संख्या–01/2019 के लि योग्य पात्र नहीं हैं।

पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर चयनित अभ्यर्थी, सुश्री शिवानी कुमारी, (Reg. No.-BR00150010098807), पिता–श्री जमुना सिंह यादव को अर्हित आयु–सीमा से कम आयु रहने के कारण आयोग द्वारा उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया है तथा आयोग द्वारा उक्त अनुशंसा को रिक्त मानते हुये अग्रत्तर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से सुश्री कुमारी के अभ्यर्थिता रद्द करने के संबंध में प्राप्त उपर्युक्त पत्र तथा नियुक्ति आदेश संख्या–1153(भ) दिनांक–31.01.2025 की कंडिका–3 एवं 4 में अंकित शर्त्तों के आलोक में **सुश्री शिवानी कुमारी (Reg. No.-BR00150010098807), पिता–श्री जमुना सिंह यादव की सेवा समाप्त की जाती है।**

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03/स्था०–विविध–43/2025.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03/स्था०–विविध–43/2025.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम (रोहतास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03/स्था०–विविध–43/2025.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–सुश्री शिवानी कुमारी, औपबंधिक रूप से नियुक्त एवं सम्प्रति सेवा समाप्त कनीय अभियंता (असैनिक), भवन प्रमंडल, सासाराम, भवन निर्माण विभाग, पता–D/o- Sri Jamuna Singh Yadav, At- Dighar, P.O- Kolhua, P.S- Adhaura, Dist- Kaimur (Bhabhua), Pin-821102, Mobile-9696160661 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांकः– भवन–03 / स्था०–विविध–43 / 2025.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2744 दिनांक–27.08.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03 / स्था०–विविध–43 / 2025.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी / सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से भी सुश्री शिवानी कुमारी को उनकी सेवा समाप्त कर दिये जाने संबंधी निर्गत आदेश से अवगत करा दिया जाय।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–03 / स्था०–विविध–43 / 2025 9600 (M) .....पटना, दिनांक– 8/10/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8-10-26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।